रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102023-249585 CG-DL-E-20102023-249585

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4418]	नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945
No. 4418]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4592(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अधिनियम, (2021 का 29), की धारा 3 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1687 (अ.) दिनांक 23 अप्रैल, 2021, जिसे बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 4954 (अ.) दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 एवं का.आ. 6111 (अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् -:

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, अर्थात्-:

क्र.सं .	नाम	पदनाम
2B	डॉ विरिंदर शर्मा,	पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य
	पूर्व प्रधान शहरी विकास विशेषज्ञ, एशियाई विकास बैंक	

[फा. सं. क्यू -15014/01/2023- सीपीए] नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

6680 GI/2023 (1)

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2023

- **S.O. 4592(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, notified *vide* number S.O. 1687(E) dated the 23<sup>rd</sup> April 2021, subsequently amended vide notification no. S.O. 4954(E) dated the 2<sup>nd</sup> December, 2021, and vide notification no. S.O. 6111(E) dated the 29<sup>th</sup> December, 2022 namely:-
  - (i) In the said notification, in paragraph 2, after serial numbers 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

Sl. No	Name	Designation
Fo	r. Virinder Sharma, ormer Principal Urban Development Specialist, Asiar evelopment Bank	Full-time Technical Member

[F. No: Q-15014/01/2023-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.